छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 33940/2004

याचिकाकर्ता : गौरव विश्वकर्मा, पिता ओमप्रकाश विश्वकर्मा, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी–कॉलेज रोड, अकलतरा, तहसील–जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा [छ०ग०]

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर [छ. ग.]

2) परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना, कोरबा, जिला कोरबा [छत्तीसगढ़]

3) जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर [छ०ग०]

4) मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग वल्लभ भवन, भोपाल[म.प्र.]

5) भारत सरकार, द्वारा सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (राज्य पुनर्गठन), तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और अन्य उपयुक्त रिट या एकाधिक रिट, निर्देश या एकाधिक निर्देश, आदेश या आदेशों की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए रिट याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 3394/2004

याचिकाकर्ता : गौरव विश्वकर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 6 मई, 2006 को सूचीबद्ध करें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र.3394/2004

गौरव विश्वकर्मा

–विरुद्ध–

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ताः
	:	उत्तरवादीगण क्र. 1 से 3 के लिए श्री सुमित वर्मा, पैनल अधिवक्ता
	:	उत्तरवादी क्र. 4 के लिए कोई उपस्थित नहीं।
	:	उत्तरवादी क्र. 5 के लिए श्री एस. के. बेरीवाल, केंद्र शासन के अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(6 मई, 2006 को पारित)

1. सतीश अग्निहोत्री, न्यायाधीश याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर उत्तरवादीगण को इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश देने की माँग की है कि उसकी माँ स्वर्गीय श्रीमती सुधा देवी सोनी, जो उत्तरवादी क्र. 2 के अधीन पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रही थीं, की मृत्यु हो गई थी।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर उत्तरवादियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अंततः याचिकाकर्ता को दिनांक 20.9.2004 को यह याचिका दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बार–बार किए गए अभ्यावेदन विलंबित दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहरा सकते।

3. **कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य वी.के. थंगप्पन एवं अन्य 2006 एआईआर एससीडब्लू 1828** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

> "जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि लगभग 2 दशकों तक उत्तरवादी क्र. 1–कर्मकार मौन रहा था। जैसा कि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वर्ष 1997 और 1998 में किए गए अभ्यावेदनों में भी सही बताया था, वर्ष 1982 और/या 1989 में किए गए अभ्यावेदनों का कोई संदर्भ नहीं था। भले ही ऐसा किया गया होता, लेकिन अभ्यावेदन देने में भी काफी विलंब हो गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केवल अभ्यावेदन देना विलंबित दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहरा सकता है।"

याचिकाकर्ता ने इस याचिका को दायर करने में अत्यधिक विलंब का कारण नहीं बताया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उच्चतम न्यायालय ने **जगदीश नारायण मालतियार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1973) 1 एससीसी 811** के मामले में, आवेदन दाखिल करने में विलंब पर विचार करते हुए, निम्नलिखित निर्धारित किया है : –

> "इस प्रकार अगस्त, 1963 में अपीलार्थी को पता चला कि उसकी सेवाएँ को वास्तव में घोर दुराचार निर्धारित किया गया था। इसके बाद लगभग 3 वर्षों तक वह सरकार को एक के बाद एक ज्ञापन सौंपता रहा और 1966 में देर होने तक उसने सेवा से हटाने के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। सरकार के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन दया याचिकाओं के स्वरूप के थे और उसे यह समझना चाहिए था कि एक ऐसे उपाय को अपनाकर, जो विधि के अंतर्गत विधिवत् नियुक्त नहीं था, वह एक उच्च मूल्य और महत्व के अधिकार को खतरे में डाल रहा था। अपने आचरण से उसने उच्च न्यायालय को अपने पक्ष में अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से अक्षम कर दिया। इसलिए हमारा अभिमत है कि उच्च न्यायालय याचिका पर विचार करने से इनकार करने में न्यायानुमत था।

5. तत्पश्चात, **पी. एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 152** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया है –

> "... ... ...ऐसा नहीं है कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोई परिसीमा अवधि है और न ही ऐसा कोई प्रकरण हो सकता है जिसमें न्यायालय एक निश्चित समय बीतने के बाद किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु न्यायालयों के लिए यह विवेकपूर्ण और उचित होगा कि वे अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकारों का प्रयोग उन व्यक्तियों के मामले में करने से इंकार कर दें जो अनुतोष के लिए शीघ्रता से न्यायालय से संपर्क नहीं करते हैं और जो चुपचाप खड़े होकर चीजों को घटित होने देते हैं और फिर न्यायालय में पुराने दावे पेश करने तथा विनिश्चित प्रकरणों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं की याचिका को आरंभतः खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इस तरह की याचिकाओं पर विचार करना न्यायालय के समय की बर्बादी है। यह न्यायालय के कार्य में बाधा डालता है तथा वैध शिकायतों पर विचार करने तथा सामान्य कार्य करने में न्यायालय के काम में बाधा उत्पन्न होती है। हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी की याचिका के साथ–साथ अपील को भी खारिज करने में सही था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका निरस्त किये जाने योग्य है और तदनुसार संक्षिप्त रूप से निरस्त की जाती है।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

बरवे

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**